न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 27-एक/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.09.2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 26/96-97/अपील.

बाबू पिता नाना नाई
निवासी- ग्राम सूरपाला
तहसील एवं जिला खरगौन

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

श्री पी.जी. पाठक, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक

-:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 27.09.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 325/अ-68/91-92 में पारित आदेश दिनांक 22.05.1995 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, खरगौन के समक्ष की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31.07.1996 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा जाकर अपील

अग्राह्य की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/94-95/अपील दर्ज कर पारित आदेश दिनांक 31.07.1996 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27.09.2000 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं रेकार्ड पर मौजूद तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो आदेश पारित किये गये हैं वे संहिता की धारा 248 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि इस प्रकरण में चार बार सीमांकन किया जा चुका है एवं प्रत्येक सीमांकन में अंतर आया है। ऐसी अवस्था में त्रुटिपूर्ण सीमांकन के आधार पर आवेदक को अतिक्रामक नहीं ठहराया जा सकता, जिस पर अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में पटवारी द्वारा जो कथन अंकित करवाया गया है, उससें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसने जो अतिक्रमण बताया है, उमसें त्रुटि भी हो सकती है। अतः प्रकरण में अतिक्रमण प्रमाणित नहीं हुआ है। शासन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है, जिसके आधार पर अतिक्रमण प्रमाणित हो। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील में उठाये गये मुद्दों पर समुचित रूप से विचार नहीं किया गया है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि जो आदेश पारित किया गया है, वह माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल द्वारा प्रतिपादित न्याय उद्धरणों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का अवैध अतिक्रमण सिद्ध पाये जाने पर तहसीलदार, खरगौन द्वारा आवेदक को अवैध कब्जा हटाये जाने के आदेश दिये गये हैं, जो कि उचित है। तहसीलदार के वैधानिक आदेश को दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा यथावत् रखा गया है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2000 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर